(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर 417/2018 उनवान अंजनी अग्रवाल वगैरह बनाम सरला देवी वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
09.05.2018	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्प में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र वर्णित धारा 1 की भूमि के खसरा न. 650, 651/3, 653/1 व 651/4 हाल खसरा न. 2629, 2629/4037 व 2636 का राजस्व रिकॉर्ड न्यायालय सहायक कलेक्टर झुंझुनू के निर्णय दिनांक 02.05.79 के अनुसार मुरलीधर कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान अप्रार्थीगण न. 24 लगायत 26, ज्वालाप्रसाद कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान अप्रार्थीगण न. 17, 20 व 21 व बनारसीलाल कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीया न. 6 व मदनलाल कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान अप्रार्थी न. 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावे तथा दिनांक 10.05.1990 के नामान्तरकरण सं. 1906 से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के निर्णय दिनांक 01.01.2001 के मध्य खसरा न. 640/1, 640/2, 640/3, 651/1 व 651/2 का समस्त राजस्व रिकॉर्ड मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण जानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसन्तलाल व मदनलाल पुत्र सुरजमल कैया को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। इमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व संलग्न सहायक जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.1979 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1906 दिनांक 10.05.1990 के अनुसार मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण ज्यानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसंतलाल व मदनलाल पुत्र सुरजमल कैया को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में भरा गया जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 तक अमल होना स्पष्ट जाहिर है। परन्तु आगे की जमाबन्दी में भूलवश सुरजमल के वारिसान के नाम से 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि मुताबिक निर्णय व डिक्री के अनुसार 1/4 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार भूलवश त्रुटि	

Scanned by CamScanner

को राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 15 वाद का प्रथम सुनवाई निपटारा नियमों के अनुसरण में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत :

आदेश :

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बावत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक जिला कलक्टर झुंझुनू के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.1979 की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1906 के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थना–पत्र में वर्णित घारा 1 की भूमि खसरा न. 650, 651/3, 653/1 व 651/4 के हाल खसरा न. 2629, 2629/4037 व 2636 का राजस्व रिकार्ड में न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनू के निर्णय दिनांक 02.05.1979 के अनुसार मुरधीधर कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से इसके वारिसान अप्रार्थी न. 24 लगायत 26, ज्वालाप्रसाद कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान अप्रार्थीगण न. 17, 20 व 21 व बनारसीलाल कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी न. 6 व मदनलाल कैया के 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से उसके वारिसान अप्रार्थी न. 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने तथा दिनांक 10.05.1990 के नामान्तरकरण संख्या 1906 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.01.2000 के मध्य खसरा न. 640/1, 640/2, 640/3, 651/1 व 651/2 का समस्त राजस्व रिकार्ड मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण ज्यानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसन्तलाल व मदनलाल पुत्र सुरजमल कैया को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को फर्द अहकाम दस्ती पालनार्थ हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एंव बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9/5/18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner